VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	Manoj Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1228024
Center	Online	Date	13-08-19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Co npetence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. **(150 words) 10**

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

हाल ही में 9 राज्यों द्वारा CBI को प्रदान 'सामान्य सहमति' वापस ले ली गई। जिससे CBI का कार्यान्वयन बाधित हो रहा है। विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों CBI, NIA, ED इत्यादि के सन्दर्भ में एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय के निम्नांकित लाभ होंगे:-

① अधिव्यापन - कार्यों एवं क्षेत्राधिकार के अधिव्यापन की समस्या का समाधान होगा जिससे कार्यों एवं दायित्वों में स्पष्टता आएगी (उदाहरण- दिल्ली बम विस्फोट में दिल्ली पुलिस, CBI एवं NIA)

(2) कार्यकरण की स्वतंत्रता - स्वतंत्र निकाय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया, पदस्थापन एवं पदोन्नति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से संस्थानों को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक नियंत्रण से मुक्ति

(3) प्रक्रिया का मानकीकरण – शक्ति, प्रक्रिया निकाय द्वारा निर्धारित होने पर व्यक्तिनिष्ठ कार्यवाही का अभाव एवं मानक प्रणाली का अनुपालन

(4) न्यूनतम हस्तक्षेप एवं संघवादी व्यवस्था के अनुकूल

वस्तुतः अम्ब्रेला निकाय की स्थापना न केवल उच्च स्तरीय संस्थापन का कार्य करेगा अपितु राजनीतिक गतिरोध एवं प्रतिशोध से ऊपर उठकर संस्थानों की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाएगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India.

(150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा विषयों का विभाजन किया गया है। केन्द्र-राज्य क्षेत्राधिकार हेतु संघर्ष समाधान के क्रम में यह सिद्धान्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

तत्व एवं सार सिद्धान्त के अनुसार क्षेत्राधिकार का ~~निर्धा~~ निर्धारण केवल विधि के शीर्षक के आधार पर न होकर मूल सामग्री के आधार पर हो। सार तत्व के आधार पर यह निर्धारण होगा कि 'उक्त' विषय किसके क्षेत्राधिकार में आता है।

छद्म विधायन सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी कानून को प्रत्यक्ष रूप से पारित नहीं किया जा सकता तो उसे अप्रत्यक्ष (छद्म)

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

तरीके से भी पारित नहीं किया जा सकता।
(किसी अन्य रूप/ कानून के नाम से)

उपरोक्त सिद्धान्तों का केन्द्र राज्य सम्बंधों के आलोक में महत्व :-

(1) संघवादी व्यवस्था का दृढ़ीकरण एवं शक्ति-का विभाजन

(2) शक्तियों के अतिक्रमण की रक्षा के साथ पर्याप्त लोचशीलता प्रदान करता है।

(3) न्यायिक समीक्षा के द्वारा शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था

इस प्रकार यह सिद्धान्त संविधान की सत्यात्मक एवं केन्द्र राज्य सम्बंधों के सुचारु संचालन हेतु महत्वपूर्ण है।।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)
VISION IAS™
1839

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

प्रतिनिधि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत में राज्य-केन्द्र में चुनावी दौर लगातार बने रहने के कारण एक-साथ चुनाव (राज्य ~~लोक~~ विधान सभा - लोक सभा) पर विचार किया जा रहा है।

एक साथ चुनाव के लाभ

(1) यह बार-बार लगने वाले मॉडल कोड आफ कंडक्ट के कारण होने वाले प्रशासनिक व्यवधान एवं योजनागत विलम्ब को खत्म करते हैं।

(2) दीर्घकालीन नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है

विपक्ष के तर्क

(A) MCC का प्रभाव केवल नवीन घोषणा पर होता है। MCC केवल चुनाव क्षेत्र पर लागू होती है न कि देश पर

(B) सतत उत्तरदायित्व का सृजन करता है।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

(3) नेता द्वारा चुनाव पर ध्यान दिया जाता है न कि सरकार पर

(c) यह व्यक्तिगत निर्णय है, कानूनी नहीं

(4) बारम्बार चुनाव जनता की भागीदारी को सीमित करता है

(4) बारम्बार चुनाव राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक

इसके अतिरिक्त एक साथ चुनाव में शक्ति-धन उपयोग के आत्यंतिक उपयोग, इतने बड़े क्षेत्र के चुनावी प्रशासन, केन्द्र/राज्य मे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की दशा में भावी दशा के सम्बंध मे स्पष्टता नहीं है।

वस्तुतः एक साथ चुनाव के सम्बंध मे चुनौतियां एवं चिंतायें व्याप्त है, जिनके निवारण उपरान्त ही इस सम्बंध मे निर्णय लिया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)
VISION IAS™

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. **(150 words) 10**

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा विशेषाधिकारों के हनन के आधार पर पत्रकारों पर कार्यवाही की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत ~~लोक~~ संसदीय सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है –

(i) व्यक्तिगत	(ii) सामूहिक
* संसद में बोलने का अधिकार	सही सूचना प्राप्त करने का अधिकार
* सिविल मामलों के सत्र के दौरान सत्र पूर्व/बाद गिरफ्तारी से उन्मुक्ति	कार्यवाही प्रकाशन सम्बंधी अधिकार

संसदीय अधिकारों के सम्बंध में संसद द्वारा संसदीय नियम या विधायन नहीं किया गया है, अतः संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण

के निम्नांकित लाभ होंगे :-

(1) संसदीय विशेषाधिकारों के स्वरूप एवं व्यापकता संबंधी स्पष्टता

(2) उल्लंघन पर सजा एवं प्रक्रिया की स्पष्टता

(3) संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाहीन प्रकृति पर रोक एवं युक्तियुक्त व्यवस्था

(4) नागरिकों एवं अन्य संस्थानों का इस संबंध में विधायी प्रशिक्षण एवं सतर्कता

वस्तुतः संहिताकरण द्वारा न केवल इनके अनुपालन में सहायता प्राप्त होगी बल्कि इन्हें वाक् अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ संगत भी बनाया जा सकेगा।

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

नौकरशाही के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव एवं राज्य स्तर पर कैबिनेट सचिव द्वारा CSB की अध्यक्षता की जाती है।

नौकरशाही को प्रभावी बनाने में CSB की भूमिका

① कार्यकाल की स्थिरता हेतु राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही को मुक्ति प्रदान करना

(2) निष्पक्षता जैसे मूल्यों का समावेशन

(3) उत्तरदायित्व तंत्र की स्थापना करना एवं केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करना

(4) सुनिश्चित कार्यकाल द्वारा उचित नीति निर्माण, वस्तुनिष्ठ आचरण की व्यवस्था, विजन को क्रियान्वित करने का समय

CSB के मुद्दे जिन्हें हल करना आवश्यक है -

① यह परामर्शदात्री प्रकृति करहै अतः प्रभाव कार्यकारी नहीं होते हैं।

② होता कमेटी के अनुशंसाओं का पालन अभी तभी राज्यों द्वारा नहीं किया गया है अतः राज्यों में CSB की स्थापना नहीं हो पाई

(3) कार्यकाल का सुनिश्चयकरण उत्तरदायित्व को बाधित कर सकता है।

(4) अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है।

वस्तुतः निष्पक्ष कार्य आचरण, एवं राजनीतिक तटस्थता हेतु CSB में सुधार कर इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

डिजिटल इण्डिया मिशन की ~~दिशा~~ दिशा में इंडियां डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर IndEA 2.0. महत्वपूर्ण ~~कदम~~ पड़ाव है जो नवीन तकनीक के समावेश द्वारा सेवा आपूर्ति के नवीन मॉडल को प्रस्तुत करता है –

Indea. 2.0 की क्षमताएँ

① मानकीकृत सेटिंग का प्रावधान करता है। जिससे इण्टरफेस सरल होता है। उपयोगकर्ता इण्टरफेस एवं ऐप उपयोग को बेहतर समझ पाते हैं।

② विकेन्द्रीकृत मॉडल द्वारा डिजिटल शासन का तृणमूल स्तर पर विस्तार संभव है।

(3) मॉड्यूलर ओपन एप्रोच द्वारा विभागों में डिजिटल क्षमता का निर्माण संभव होगा।

(4) बहुभाषीय मंच प्रदान कर भाषायी बाधा एवं अन्तराल को समाप्त कर बेहतर पहुँच संभव होगी।

(5) इन्टर ओपरेबिलिटी के द्वारा उपयोग में सहजता एवं बेहतर सुविधा प्रदान होगी।

(6) रियल टाइम मॉनेटरिंग व्यवस्था, फायरवाल द्वारा डाटा सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा बेहतर बचाव

(7) अपडेशन हेतु क्लाउड स्टोरेज एवं ब्लॉकचेन हेतु बिग-डाटा उपयोग का बेहतर अनुभूति प्रदान करना संभव।

इस प्रकार IndEA 2.0 नवीन डिजीटल स्मार्ट भारत में ई-शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। **(150 words) 10**

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) की व्यवस्था के तहत नागरिक अपने जन्म स्थान, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सम्बंधी पंजीकरण करवाते हैं। सामान्यतः यह प्रक्रिया उपखण्ड स्तर पर क्रियान्वित की जाती है।

पंजीकरण प्रमाण पत्र भावी प्रमाण पत्रों के निर्माण का आधार बनते हैं। उदाहरणार्थ-

जन्म प्रमाण पत्र → मूल निवास प्रमाण पत्र
↓
जाति प्रमाण पत्र

CRS की महत्ता :-

① सरकार के सन्दर्भ में – महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाती है। साक्ष्य आधारित नीति का निर्माण करना संभव है
उदा० जन्म प्रमाण आधार पर जनसंख्या नीति आ.

निगरानी करना

② <u>नागरिकों के सन्दर्भ में</u> - पंजीकरण द्वारा प्रमाणन पत्र एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करना |

राशन कार्ड → pds सुविधा

③ <u>प्रशासन के सम्बंध में</u> — पंजीकरण द्वारा सेवाओं के विकल्प एवं पहचान का कार्य | समावेशन एवं <u>लाभार्थियों</u> का वर्गीकरण सरल

<u>सुधार हेतु उपाय—</u>

① ऑनलाइन प्रक्रिया | आवेदन प्रणाली का निर्माण करना, वर्तमान <u>सिस्टम को</u> विस्तारकारी हो

② <u>डिजीलॉकर</u> जैसी सुविधा को लोकप्रिय बनाना,

③ <u>मल्टीपल पंजीकरण</u> (आधार / मूल निवास) की समस्या को खत्म करना

(4) सेवाओं की समयानुसार, डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना

(5) इस सन्दर्भ में INDEA 2.0 का उपयोग हो

वस्तुतः <u>ई-शासन</u> प्रणाली को अपनाकर <u>पंजीकरण एवं प्रमाणन</u> सम्बंधी सेवाओं की बेहतर <u>आपूर्ति</u> की जानी चाहिए |

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss.

(150 words) 10

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

बेजूवाडा विल्सन एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रयासों से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन (प्रतिषेध) अधिनियम 2013 पारित किया गया।

अधिनियम के प्रावधान

① हाथ से मैला उठाने के कार्य, कार्य में नियोजन का पूर्णत: प्रतिबंध, जबरन कार्य करवाने पर वैधानिक दण्ड का प्रावधान।

② शुष्क शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध एवं विध्वंस

③ संलग्न कर्मियों का बचाव करना एवं पुनर्वास करना नवीन रोजगार प्राप्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान

(4) सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना।

Ngo द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी भी 44000+ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी मौजूद है। साथ ही वर्ष 2014 उपरान्त सीवर पर नीरगरिट प्राप्त जवानों के बजाय सफाईकर्मियों की कम सुरक्षा के मृत्यु अधिक हुई है।

प्रावधान की कमियाँ

(i) समयगत अनुपालन का अभाव, अधिनियम प्रशासनिक उदासी एवं जन जागरूकता के अभाव का शिकार

(2) नवीन रोजगार देने के प्रावधान स्पष्ट नहीं

(3) रोजगार के संविदाकरण के कारण कर्मियों की बारगेनिंग क्षमता का कम होना

(d) • दोष सिद्धि का निम्न स्तर

सबका साथ सबका विकास हेतु आवश्यक है कि समावेशी समाज का निर्माण हो। बन्डीकूट जैसी तकनीक विकसित कर सफाई कर्मचारियों को बेहतर कार्य-दशा प्रदान करनी चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. (150 words) 10

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) विश्व व्यापार निगरानी, नियम निर्माण, विवाद समाधान एवं व्यापार प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियाँ :-

① मुद्रा अवमूल्यन, टैरिफ एवं गैर प्रशुल्कीय माध्यमों से आर्थिक संरक्षणवाद को बढ़ावा

② दोहा राउण्ड वार्ता का विफल होना एवं ट्रिप्स + के सन्दर्भ में सहमति का न हो पाना

③ ग्लोबल बिग डाटा कम्पनी द्वारा डाटा उपनिवेशीकरण की समस्या

(4) पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन

(5) डम्पिंग की समस्या (चीन)

(6) ~~स्लोस~~ रेस टू बॉटम के कारण विकासशील देशों का शोषण

(7) व्यापार में हरित बॉक्स को उचित स्थान प्राप्त न होना

WTO में सुधार के बिन्दु

① वोटिंग पावर का लोकतांत्रिकरण बनाकर पाश्चात्य प्रभुता को समाप्त करने की आवश्यकता है

(2) WTO के विवाद समाधान तंत्र को सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।

(3) WTO सदस्यों द्वारा न्यूनतम सहमति कार्यक्रम बनाया जाए

④ समयानुसार WTO नियमों को अपडेट करना आवश्यक (डिजिटल ट्रेड, 10% सब्सिडी सीमा)

WTO व्यापार प्रणाली के विनियमन हेतु वैश्विक निकाय है। वैश्विक विकास एवं निर्बाध व्यापार हेतु इन वैश्विक निकायों का निष्पक्ष सशक्तिकरण अनिवार्य शर्त है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

UNCLOS संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ~~अनुसमर्थित~~ अनुसमर्थित कानून प्रणाली है जिसके द्वारा राज्यों के सागरीय सीमा प्रादेशिक एवं अनन्य क्षेत्रों पर अधिकारों सम्बंधी प्रावधान किए गए हैं।

UNCLOS का महत्व

(1) नौवहन संचालन की स्वतंत्रता एवं पारगमन के अधिकारों का विधायी आधार प्रस्तुत करता है।

(2) राज्यों में विवाद समाधान हेतु आधारभूत कानून के रूप में कार्य करता है। (सामरेग – सिद्धान्त)

(3) खुले समुद्र में राज्यों की गतिविधियों (डीप सी माइनिंग इत्यादि) के सन्दर्भ में प्रावधान करता है।

हाल ही में संसाधनों (● पाली मेटेलिक नाड्यूल, क्रिटिकल खनिज) की खोज से इसमें समुद्री क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है।

कानूनी रूप से और बाध्यकारी क्षेत्र में समुद्रिक जैव विविधता पर समझौते की आवश्यकता :-

1. वर्तमान में खनन एवं भौगोलिक अतिक्रमण नियमन में अपर्याप्त है।
2. ब्लू अर्थव्यवस्था की सफलता हेतु आवश्यक है।
3. प्रवाल विरंजन, आयल स्पील, जलवायु परिवर्तन के आलोक में संरक्षण हेतु वैश्विक कानून आवश्यक है।

वस्तुतः समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु विधायी अन्तराल को समाप्त कर SDG-14 की प्राप्ति हेतु काम करने चाहिए।

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. **(250 words) 15**
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

NHRC भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

NHRC की शक्तियाँ

(1) स्वतः संज्ञान द्वारा जाँच करने की शक्ति प्राप्त है। NHRC को सक्रिय संस्था बनाती है।

(2) यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद में विचार हेतु भेजा जाता है।

(3) 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकती

NHRC का प्रदर्शन

(1) मानवाधिकार उल्लंघन प्रकरण के अब तक लगभग 2 बिलियन ₹ का मुआवजा प्रदान किया है।

(2) 19 लाख से अधिक प्रकरण प्राप्त जिनमें से 90% से अधिक वादों का निपटान किया जा चुका है।

(3) मानवाधिकार प्रतिवेदन द्वारा नीति निर्माण में सहायता

किन्तु हाल ही में NHRC के प्रदर्शन में गिरावट आयी है जिनमें -

(1) मामलों का जल्दबाजी में निपटान करना, केवल प्रक्रियात्मक स्तर पर निपटान कर देना

(2) स्वतः संज्ञान प्रकरण की दर का गिरकर 50% से कम होना।

(3) प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों का कोई फॉलो अप प्राप्त न करना

(4) कोविड आपदा उपरान्त वाद पंजीकरण में गिरावट

(5) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पूर्व न्यायमूर्ति ने NHRC को दन्तहीन बाघ की संज्ञा दी क्योंकि NHRC के पास निर्णयों को लागू करने एवं सुझावों के क्रियान्वयन हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है

वस्तुतः मानवाधिकारों के क्रियान्वयन हेतु NHRC को आंदरतीय कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

NHRC को बेहतर स्वायत्तता प्रदान कर प्रतिवेदनों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

कोविड आपदा ने न्याय प्रणाली के सक्षम गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। इस भौगोलिक अन्तराल व विलम्ब की समस्या के समाधान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है।

ICT का ADR एवं अदालतों में उपयोग :-

① ई-कोर्ट डायरी का निर्माण करना। जिसे प्रकरणों की सुनवाई सम्बंधी प्रक्रिया का संचालन

② राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड द्वारा लम्बित मामलों की निगरानी एवं डाटा का अपडेशन।

③ ई-कोर्ट द्वारा ऑनलाइन सुनवाई द्वारा भौगोलिक अन्तराल को खत्म करना। मोबाइल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कोर्ट की भाँति ऑनलाइन कोर्ट की सुविधा

न्यायिक प्रणाली एवं ADR की चुनौतियाँ

- (1) लम्बित मामलों का अत्यधिक होना
- (1) भौगोलिक अन्तराल एवं न्याय का महँगा होना
- (4) प्रकरणों के फाइलिंग एवं शोध की समस्या का होना
- (3) न्यायधीशों की सीमित संख्या (20 प्रति मिलियन)
- (2) अभिलेख एकत्र एवं संरक्षित रखने की समस्या
- (3) साक्ष्य प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक व्यवस्था का न पाया जाना

(4) ICT का प्रयोग कर साक्ष्यों का बेहतर संरक्षण संभव है।

(5) ICT डिक्रियों, आदि, निर्णयन सम्बंधी कागज कार्य को न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक फीस प्रदान करने

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

में सक्षम है।

(6) Adr प्रणाली में यह ऑनलाइन डिस्प्यूट न्यायालय तंत्र का प्रयोग सहज बनाती है। यह कोविडकाल के विकल्पों में वृद्धि करता है।

(7) Adr के सम्बन्ध में गलत तथ्यों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण चुनौती होती है। Adr के सम्बन्ध में यह प्री-फैक्ड संविदा, अनुबन्ध का उल्लंघन कर सकता है।

(8) ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी (न्याय) ऑनलाइन सुनवाई के नहीं बल्कि न्याय सेवा सम्बन्धी जागरूकता एवं 39A के तहत विधिक सहायता पर केंद्रित है।

वस्तुतः न्याय क्षेत्र ICT, वित्त, कौशल एवं कार्मिक तीनों अन्तरालों को पाटने की क्षमता रखती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

Adr एवं PRS द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान लोकसभा में 43% सदस्यों पर अपराध 16% सदस्यों पर गम्भीर अपराध के मामले दर्ज हैं।

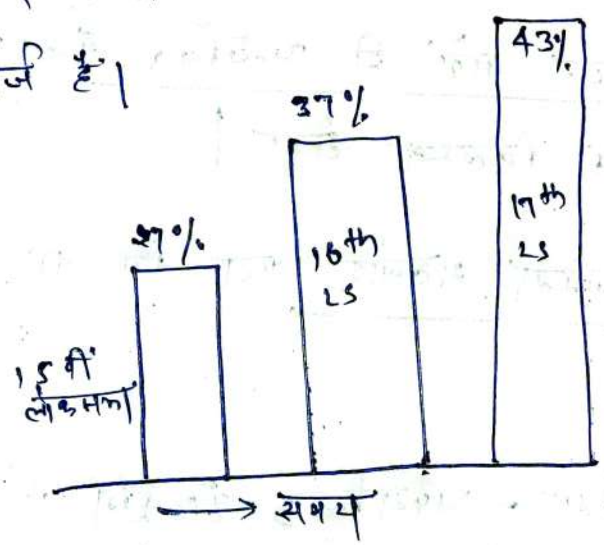

(अपराधीकरण की दर)

RPA, 1951 की धारा 8(3) दोषी सिद्ध किए गए व्यक्तियों को चुनाव के अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे 2 वर्ष से अधिक

समय की सजा हुई है। वह सजा पूरी करने के उपरान्त 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

इन प्रावधानों के बावजूद राजनीति के अपराधीकरण की समस्या बने रहने के कुछ विशिष्ट कारण है।-

(1) उच्च लम्बित वादों की अत्यधिक संख्या एवं दोष सिद्धी में विलम्ब होना।

(2) पुलिस-राजनेता गठजोड़ द्वारा तंत्र का अपराधीकरण होना।

(3) जनस्वीकार्यता - अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार 15% विजेता जबकि स्वच्छ छवि वाले मात्र 2.5% विजेता।

(4) चुनावों का खर्चीला होना तथा धन बल हेतु अपराध का प्रयोग (RPA धारा 77, 78 का प्रभावी उपयोग नहीं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ मत लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) छद्म प्रकरण एवं झूठे आरोप भी राजनेताओं पर मुकदमों की संख्या बढ़ाते हैं, जिनमें राजनीतिक प्रतिशोध शामिल है।

(8) पार्टी लोकतंत्र का संकीर्ण होता रूप एवं राजनैतिक नैतिकता का ह्रास

वस्तुतः इन कारणों द्वारा भारतीय राजनीति अपराधीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके प्रभावी निदान हेतु जन सक्रियता, सजगता, राजनीतिक इच्छाशक्ति ही सर्वोत्तम विकल्प नजर आता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारतीय नगरीय क्षेत्र 60% से अधिक है किन्तु नगरीय स्वशासन इकाईयों (ULB) का gap कर:अनुपात 1% से कम है।

ULB के राजस्व सम्बंधी तथ्य

(1) अपनी आवश्यकता पूर्ति का 45%, राजस्व ही सृजित, शेष अनुदान पर निर्भर

(2) राजस्व संग्रहण का 70% सम्पत्ति कर द्वारा प्राप्त

(3) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ULB को विषयों का आंवटन किया गया था। जिनमें कुछ अनिवार्य कुछ राज्यों के विवेक पर आधारित थे। अधिकांश राज्यों ने ULB को सभी विषयों की शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ULB का बढ़ता कार्यभार

① 2030 तक लगभग 40% जनसंख्या नगरों मे निवास करेगी जो वर्तमान में 30% है।

② नगरीय विकास के प्रोत्साहन हेतु ULB एक अनिवार्य शर्त है।

③ नगरीय बाढ़, आकस्मिक सूखा, प्राकृतिक एवं चिकित्सा आपदाओं के कारण ULB के दायित्वों एवं चुनौतियों मे वृद्धि

④ बढ़ती आबादी के कारण अनियोजित विस्तार, अतिक्रमण एवं अवसंरचना दबाव के कारण सेवा आपूर्ति पर बढ़ता दबाव

ULB के राजस्व स्रोत विकास के विकल्प :-

① S-GST एवं IGST की भांति लोकल-GST को GST का कम्पोनेंट बनाया जाए।

② सम्पत्ति कर के बेहतर संग्रहण हेतु MIS

GIS तकनीक का उपयोग हो।

(3) राज्य वित्त आयोग का नियमित गठन एवं अनुशंसाओं को लागू किया जाए।

(4) मुनिसिपल बांड बाजार को लोकप्रिय बनाया जाए

(5) ULB को यूजर चार्ज बढ़ाने सम्बंधी कार्य निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाया जाए — पैरा स्टेटल बोर्ड द्वारा शक्ति का अतिक्रमण न किया जाए

(6) सबकी योजना सबका विकास में ULB को सम्मिलित कर अनुदान के विकल्पों में वृद्धि की जाए।

संधारणीय नगरीकरण हेतु आवश्यक है कि ULB वित्तीय रूप से सशक्त हों। ULB की वित्तीय आत्मनिर्भरता सहकारी संघवाद एवं प्रभावी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उदाहरण होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.
(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

नागरिक समाज संगठन (CSOs) नागरिकों का समूह होता है जो विविध विषयों / कार्य क्षेत्रों मे अपनी सक्रियता (राजनीतिक / स्वयंसेवी) द्वारा सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन का कार्य करता है।

उदाहरण - मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु जागरूकता उत्पन्न कर राजनीतिक दबाव का कार्य करना।

वर्तमान समय मे CSO के विविध रूप सामने आ रहे हैं, यथा
पर्यावरण केन्द्रित संगठन - मरुधर CSO राजस्थान
राजनीति केन्द्रित संगठन - Adr, PRS, जन प्रहरी
समाज सुधार संगठन - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन

Page 34 of 50
Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

वैश्वीकरण एवं सूचना क्रान्ति के प्रसार द्वारा मेटा गवर्नन्स एवं जन सहभागिता • राजनीतिक विषयों में बढ़ी है। वहीं इसकी तरफ कुछ स्वयं CSO ने अपने ऐजेण्डे के कार्यान्वयन का कार्य किया है।

समकालीन समय में CSO
की भूमिका

- **राजनीतिक सहयोग एवं दबाव द्वारा भूमिका निर्वाह**
  - राज्यों द्वारा अनुदान प्राप्त कर कार्य करते हैं।
  - या) राज्य पर मांग अनुरूप विधायन / कार्यवाही की मांग करते हैं। (जन प्रहरी, ADR)
- **स्वतंत्र कार्यान्वयन**
  - दानदाताओं चैरिटी द्वारा अपने विषय क्षेत्र में कार्य करना
  - उदा. SEWA

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)
VISION IAS™
1839

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हाल ही में देखा गया है कि CSO एक दबाव समूह के रूप में उभर रहे हैं। आलोचना इकाईयों के अनुसार CSO का उपयोग विकास के बाधक के रूप में हो रहा है।

हाल ही में FCRA अधिनियम में संशोधन द्वारा इनके क्रियान्वयन फंडिंग में चुनौतियाँ आने वाली है।

वस्तुतः CSO ने नवीन क्षेत्रों में प्रवेश किया है। अपनी कार्य प्रणाली, फंडिंग एवं सरकार के साथ सम्बंधों ने इन्हें जटिल रूप प्रदान किया है।

---X---X---

 attempting this

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**

वैश्वीकरण के युग में, विकेंद्रीकरण आधारभूत प्रतिकारी प्रवृत्ति है, जो भारत में विकास प्रक्रिया का समावेशी होना सुनिश्चित कर सकती है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में कोविड के दौरान MPLADS वित्त के उपयोग सम्बन्धी जानकारी के अभाव के कारण पुनः MPLADS सुर्खियों में है।

MPLADS योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ ₹ का आवंटन किया जाता है। धनराशि का उपयोग स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाता है।

MPLADS विकास की असमानता को किस प्रकार कम करने में किस प्रकार लाभकारी है :-

① यह तृणमूल स्तर पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाती है। पंचायतों हेतु धन उपलब्ध होता है।

(2) स्थानीय सांसद स्थानीय मांग को बेहतर समझते हैं एवं क्रियान्वयन की बेहतर निगरानी संभव होती है।

(3) MPLADS का वित्त आवंटन लेप्स (व्यपगत) नहीं होता है। अतः सकल राशि का उपयोग कर पूंजीगत अवसंरचना का निर्माण संभव है।

(4) यह पंचायतों के सहयोग द्वारा अनुपयोगी अवसंरचना का निर्माण संभव बनाती है - यथा- अनाज भंडारण हेतु शेड निर्माण, तालाब जलाशय निर्माण इत्यादि।

किंतु MPLADS योजना में कुछ संरचनात्मक मुद्दे हैं:-

(1) यह विधायिका को कार्यपालिका रूप प्रदान कर उनकी भूमिका को विभाजित करता है। यह शक्ति पृथक्करण के विपरीत है।

(2) MPLADS के वित्त एक तरफ तो बहुत कम है वहीं इसी तरफ नाम मात्र के वित्त का भी ठीक उपयोग नहीं करते है।

(3) MPLADS हेतु प्रोजेक्ट में चुनाव को लेकर वस्तुनिष्ठता का अभाव एवं भेदभाव का पाया जाना। उपेक्षित गांव में अवांछनीय निर्माण इत्यादि

(4) MPLADS में वित्त व्यय के उचित लेखांकन का अभाव होना।

वस्तुतः MPLADS योजना हालांकि लोक सभा क्षेत्रों में विकास ध्रुव बनाने का लक्ष्य करती है किन्तु MPLADS में कार्यान्वयनात्मक कमियों के कारण इसकी पुनर्संरचना की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

एडटेक क्षेत्र वह व्यवसाय है जिसमें ऑनलाइन कोचिंग, सर्टिफिकेट कोर्स व प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। उदा. अपग्रेड, यूनेक्स, सिंपलीलर्न, अनअकेडमी, बायजू।

भारत में वर्तमान में 3500+ से अधिक एडटेक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं एवं 2018 से इन्होंने 700 मिलियन $ से अधिक का निवेश प्राप्त किया है।

एडटेक क्षेत्र के विकास हेतु उत्तरदायी कारक :-

① covid आपदा के कारण शिक्षा क्षेत्र में आया व्यवधान।

② प्रदत्त सेवाओं का सस्ता होना

③ आक्रामक प्रचार द्वारा ग्राहकों का आकर्षण

(4) मोबाइल एवं इंटरनेट उपयोग कर्ताओं में आयी तीव्र वृद्धि।

(5) बेहतर ट्रेनिंग प्रणाली (आडियो विजुअल का प्रयोग करना)

(6) उभरते क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त फंडिंग प्राप्त हुई है।

एडटेक के लाभ

(1) शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं कौशल विकास द्वारा बेहतर टैलेंट पूल का निर्माण करना

(2) शिक्षा को घर पर सुलभ बनाना जिससे छात्रों के शिक्षा प्रवसन से छुटकारा

(3) सस्ती दरों पर शिक्षा प्राप्त होने से लागत प्रभावी एवं अधिक समावेशी

(4) एडटेक क्षेत्र द्वारा सेवा निर्यात की उभरती सम्भावनाएं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)
VISION IAS TM

एडटेक संबंधी चिंताएं:

(1) डिजिटल डिवाइड द्वारा नॉलेज डिवाइड को बढ़ावा देगा फलतः सामाजिक विषमता बढ़ेगी

(2) एडटेक द्वारा शिक्षा से मूल्यों का समावेशन नहीं हो पाएगा जिससे विद्यार्थी नैतिकता का ह्रास

(3) एडटेक द्वारा आक्रामक प्रचार के कारण परिजनों पर अनावश्यक दबाव

(4) फीस देने के उपरान्त एडटेक का छात्रों पर ध्यान न देना एवं शिकायत समाधान व्यवस्था का अभाव होना।

(5) फैकल्टी का आकस्मिक बदलना जिसका प्रभाव छात्र के कैरियर पर पड़ता है

वस्तुतः नॉलेज बेस्ड समाज के निर्माण में एडटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके विनियमन की उचित व्यवस्था द्वारा इनका इष्टतम लाभ संभव है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**
ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

भारत में स्वास्थ्य सेवा शहरी-ग्रामीण डिवाइड से ग्रस्त है। जहाँ 70% से अधिक चिकित्सकीय सेवा नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रित है। इस दशा में 'आशा' की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

'आशा' कार्यकर्ता प्रशिक्षित स्थानीय कार्यबल होता है, जो चिकित्सा सेवाएँ एवं चिकित्सा जागरूकता को डोर-स्टेप पर उपलब्ध करवाती है।

'आशा' की ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा में भूमिका –

① covid आपदा के दौरान - सैम्पल संग्रहित करने, कोविड व्यवहार अनुपालन एवं वैक्सीन

हेपेटाइटिस के समाधान में ग्राउण्ड जीरो पर कार्य किया।

(2) परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक वितरण एवं महिला स्वास्थ्य के सन्दर्भ में अस्पताल एवं महिला के बीच कड़ी के रूप में कार्य

(3) यह रोगों की निगरानी, स्वच्छता एवं निवारक उपचार हेतु आवश्यक उपचार प्रदान करता है।

(4) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं (जननी सुरक्षा अभियान) को लोगों तक पहुँचाने हेतु जागरूकता प्रदान करना

ASHA द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

(1) प्राप्त वेतन अत्यधिक कम होने के कारण हतोत्साहित होना।

(2) समुचित प्रशिक्षण का अभाव एवं शैक्षिक योग्यता का कम होना।

(3) ASHA के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में उनके और लेकर स्टिग्मा (stigma)। कुछ प्रकरणों में जातिवाद एवं यौन अपराध की समस्या।

(4) योजना क्रियान्वयन पर अनुरूप incentive का कम होना

वस्तुतः ASHA ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की मजबूत कड़ी है उनके उचित प्रशिक्षण, वेतन, रोजगार सुरक्षा की व्यवस्था कर उनके लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. **(250 words) 15**

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण भू राजनीतिक अवस्थिति के कारण अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्तापलट का प्रभाव विश्व राजनीति पर पड़ा है।

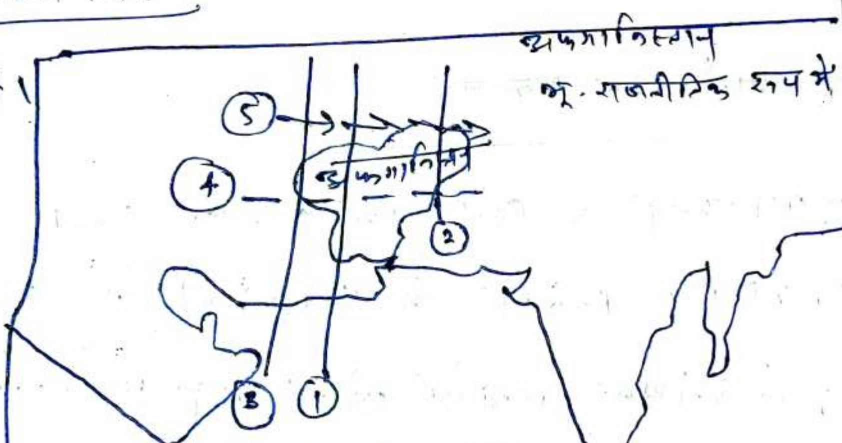

चित्रारेख (1.)

भारत पर तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के

(A) भू राजनीति प्रभाव :-

चित्रारेख (1) के अनुसार

(1) TAPI पाइपलाइन का क्रियान्वयन प्रभावित होगा

(2) कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया की नीति प्रभावित

(3) उत्तर पश्चिम गलियारे का विकास बाधित होगा।

(4) मादक द्रव्यों की तस्करी एवं भारत को खतरा क्योंकि अफगानिस्तान गोल्डन क्रीसेन्ट का अंग है।

(5) आतंकवाद का कश्मीर में निर्यात का खतरा

(B) राजनीतिक प्रभाव

(1) पाकिस्तान के साथ नजदीकी का खतरा
(2) भारतीय निवेश के अनुपयोगी होने का खतरा
(3) लोकतांत्रिक विचारों एवं महिला अधिकारों के दमन की चिंता

(C) आर्थिक चिंता

भारत-अफगान व्यापार को दुष्प्रभावित करेगा।

(d) शरणार्थियों के प्रवेश एवं प्रबंधन की चिंता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत द्वारा अपनाए जाने योग्य कदम :-

(1) सॉफ्ट पावर बढ़ाने हेतु आवश्यक वस्तुओं खाद्यान्न, मेडिकल सहायता लगातार उपलब्ध करवाना।

(2) प्रतीक्षा की नीति द्वारा तालिबान सरकार के साथ व्यापक सहयोग कार्यक्रम पर चर्चा कर आतंकवाद प्रतिबंध एवं अफगान भूमि के भारत के विरुद्ध उपयोग न करने की गारंटी प्राप्त करना।

(3) क्षमता निर्माण में सहयोग करना एवं गुटों में वार्ता तंत्र स्थापित करने में सहयोग करना

(4) हिंसा की रोकथाम हेतु प्रजातंत्र की प्रक्रिया में मजबूती हेतु सहयोग करना - चुनाव सहयोग

'बदला तालिबान 2.0 के साथ सम्बंध भारत के राष्ट्रीय हितों का संरक्षण प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए एवं साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास कर क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थिति को मजबूत करना चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लम्बी सीमा लगाता है। पूर्वोत्तर भारत एवं बिम्सटेक के सन्दर्भ में बाँग्लादेश की केन्द्रीय स्थिति भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों की दृष्टि से बाँग्लादेश को महत्वपूर्ण बना देती है।

पड़ोसी प्रथम नीति (NFP) के तहत भारत का उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार करते हुए सम्बंधों को प्रगाढ़ करना एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाना है।

वहीं एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत द्वारा आसियान एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक-आर्थिक सम्बंध स्थापित कर अपनी रणनीतिक उद्देश्य को बढ़ाना है

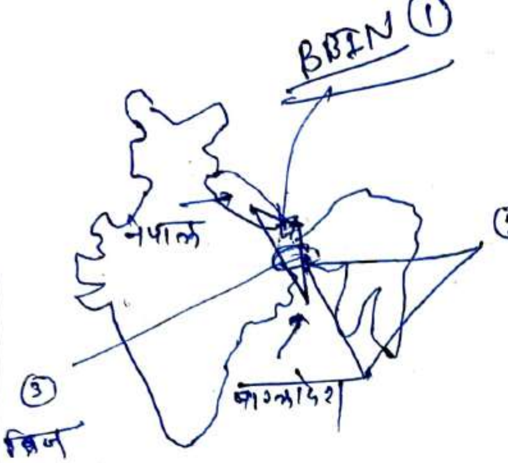

दोनों देशों के सम्बंध मजबूत करने हेतु उठाए गए कदम।

(1) आवसंरचनात्मक – (A) बांग्लादेश - भूटान, इंडिया - नेपाल BBIN - मोटर वेहिकल एग्रीमेंट

(B) कालापानी मल्टी मोडल ट्रांजिट की

(C) रूपपुर परमाणु संयंत्र की स्थापना

(d) इंडिया मैत्री ब्रिज की स्थापना

(e) रेल यात्रा की शुरुआत

(2) राजनीतिक समझौते

(A) एन्क्लेव स्वैप एग्रीमेंट का भूमि मुद्दे का हल

(B) न्यू मूर द्वीप मुद्दे का हल करना

(C) फरक्का समझौता

(d) विकास में सहयोग

(3) आर्थिक (18 बिलियन $ का व्यापार) भारत द्वारा बांग्लादेश का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है

(4) तकनीकी - सार्क उपग्रह व सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना

(5) इस प्रकार भारत द्वारा विभिन्न पक्षों से नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाया जा रहा है। हालांकि NRC, CAA तथा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एवं अत्याचार ने संबंधों में चिंता प्रस्तुत की है।

इस प्रकार भारत द्वारा क्षमता निर्माण एवं सहयोग पर बल देकर (सागर पहल) को क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह भारत को क्षेत्रीय नेता एवं क्षेत्रीय नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण होगा।